मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश

जलाशय नीलामी सूचना

सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जनपदः- इलाहाबाद में स्थित श्रेणी-4 के निम्नलिखित जलाशयों से मछली निकालने का ठेका स्वीकृति के दिनांक से 30 जून, 2022 तक 05 (पाँच) वर्षों के लिए दिया जाना है। अतः इस हेतु नीलामी दिनांकः- 18-08-2017 को समय 11.00 बजे कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण में मुख्य विकास अधिकारी इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उक्त तिथि को की जाएगी।

क्र0 सं0	जलाशय का नाम	क्षेत्रफल (हे0)	श्रेणी	विकास खण्ड	तहसील	न्यूनतम आरक्षित वार्षिक मूल्य (रु0 में)
1.	निरौंधा	1.20	4	कौंधियारा	करछना	6,000=00

1. अध्यक्ष, नीलाम समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार व रद्द कर सकता है।
2. नीलामी के प्रथम चक्र में संबंधित जलाशय के भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाली गांव में ग्रामसभा तथा संबंधित विकास खण्ड की पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ एवं स्वयं सहायता समूह केवल भाग लेंगे।
3. नीलामी के दितीय चक्र में संबंधित उपरोक्त क्रमांक (1) के साथ-साथ जलाशय के भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाली तहसील एवं जनपद स्तर की मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ ही भाग लेंगी।
4. तृतीय चक्र में नीलामी संबंधी उपरोक्त क्रमांक 01 व 01 के साथ-साथ मण्डल स्तर की पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समिति ही भाग ले सकती है।
5. चतुर्थ चक्र में प्रदेश की कोई भी पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समिति भाग ले सकती है।
6. जलाशय का आरक्षित मूल्य न प्राप्त होने की दशा में पांचवे चक्र में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी दिनांक 18-08-2017 को ही सम्मिलित किया जाएगा।
7. बोली बोलने से पूर्व बोलीदाता को रु0 2000=00 (दो हजार रुपया मात्र) बतौर बयाने की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। जो बोली समाप्त होने के उपरान्त वापस या समायोजित कर दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता बीच में बोली छोड़कर चला / भाग जाता है तो उसके बयाने की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
8. प्रत्येक बोलीदाता को उसके ऊपर विभाग का कोई भुगतान अवशेष हो तो उसे पूर्णतया भुगतान करने पर ही बोली बोलने दिया जाएगा।

9. जलाशय में मछली निकालने का ठेका पाँच वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। ठेके की प्रथम वर्ष की अवधि स्वीकृत दिनांक से प्रारम्भ होकर 30 जून तक के लिए होगी। शेष वर्षों की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक के लिए होगी। नीलामी की बोली प्रतिवर्ष की दर से लगाई जाएगी तथा प्रथम वर्ष की बोली को आधार मानते हुए दितीय वर्ष से पाँचवे वर्ष तक 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी।

10. उच्चतम बोली बोलने वाले समिति / ठेकेदार को नीलामी समाप्त होने पर प्रथम वर्ष की बोली की 50% धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। प्रथम वर्ष की अवशेष 50% धनराशि स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर जमा करना होगा। समिति / ठेकेदार को दितीय वर्ष से पाँचवे वर्ष तक ठेके की वार्षिक धनराशि को 1/4 भाग 15 जून एवं 1/4 भाग 15 सितम्बर तक एवं अवशेष 1/2 भाग 31 दिसम्बर तक प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य होगा।

यदि समिति / ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वार्षिक किश्तों की अदायगी नहीं की जाती है तो देय तिथि से ठेका समाप्त कर नीलाम किया जा सकता है। समिति / ठेकेदार द्वारा लिखित अनुरोध पर उप निदेशक मत्स्य द्वारा विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए

2% प्रतिमाह व्याज अदा करने की स्थिति पर अवशेष धनराशि जमा करने की अवधि तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। समिति / ठेकेदार द्वारा 3 माह के बाद धनराशि न जमा करने पर ठेका निरस्तीकरण का प्रस्ताव उप निदेशक मत्स्य, इलाहाबाद को प्रेषित किया जाएगा। श्रेणी-4 के जलाशयों के संबंध में ठेका निरस्त करने का अधिकार उप निदेशक मत्स्य में निहित रहेगा।

11. समिति / ठेकेदार को जलाशय में शिकारमाही कार्य हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप जाल की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा 1.50 कि0ग्रा0 से कम वजन की मछली नहीं निकाली जाएगी।

12. बोली में भाग लेने वाली समिति / स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बोली बोलने हेतु नामित सदस्य के पक्ष में पारित प्रस्ताव की प्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
मोबाइल नंबरः- 9452123076